



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940

No. 756]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2018

सं० 55/2018 -- केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 1050(अ).**—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 34/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु सितम्बर, 2018 मास के लिए प्ररूप **जीएसटीआर 3 ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 25 अक्टूबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी”।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्यांक 34/2018 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 47/2018 सा.का.नि. संख्यांक 858(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2018

**No. 55/2018 – Central Tax**

**G.S.R.1050(E).**— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification number 34/2018 – Central Tax dated the 10th August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.761(E), dated the 10th August, 2018, namely:—

In the said notification in the first paragraph, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** for the month of September, 2018 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 25th October, 2018.”.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note:-** The principal notification number 34/2018 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 761(E), dated the 10th August, 2018 and was last amended by notification number 47/2018 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 858(E), dated the 10th September, 2018.